"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2003—ज्येष्ठ 23 शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/5-5-03/2003

विज्ञापन जारी करने की तिथि 5-5-2003	आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 17-6-2003

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से वन विभाग के अंतर्गत रिक्त सहायक वन संरक्षक के 05 (सामान्य-02, अनु. जाति-01, अनु. जनजाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01) अस्थाई पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है.**

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. **अन्य प्रदेशों के सभी वर्गों के आवेदकों को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार ही माना जायेगा.**

3. चयनित आवेदकों की नियुक्ति चार वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी.

4. पद विवरण-

(क) श्रेणी-राजपत्रित द्वितीय श्रेणी.

(ख) वेतनमान- रुपये 8000-275-13500/-, इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे.

(ग) **आवश्यक अर्हता**- अभ्यर्थी प्राकृतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, यांत्रिकी इंजीनियरिंग, सिविल या रासायनिक इंजीनियरिंग या कृषि में किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हताएं धारण करता हो. अर्थशास्त्र तथा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण होने वाले विज्ञान स्नातक भी पात्र होंगे.

परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक के मामले में उसने उच्चतर माध्यमिक/मेट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से एक लिया हो-

(एक) जीव विज्ञान

(दो) भौतिक शास्त्र

(तीन) रसायन शास्त्र

टीप : आवेदक के पास उपरोक्त अर्हता आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये. आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दिनांक को आवश्यक अर्हता अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पद के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे.

अन्य अर्हता- निर्धारित नियमों के अनुसार फिजिकल फिटनेस तथा स्वास्थ्य परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा.

शारीरिक मापदण्ड (न्यूनतम)-

	पुरुष उम्मीदवार (सेंटीमीटर)	महिला उम्मीदवार (सेंटीमीटर)
ऊंचाई (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति)	163	150
ऊंचाई (अनु. जनजाति)	152	145
सीने की परिधि	79	74
न्यूनतम विस्तार	5	5

शारीरिक क्षमता परीक्षण

चार घंटे पैदल चलना-	26 कि. मी.	14 कि. मी.

5. चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदण्ड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि हेतु सामान्य शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जावेगा. उम्मीदवारों को पृथक से अपने स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है. उम्मीदवारों की संतुष्टि के लिये सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने के पूर्व स्वयं का स्वास्थ्य परीक्षण करवा लें, ताकि बाद में निरुत्साहित न होना पड़े.

6. **आयु सीमा**- दिनांक 1-4-04 को न्यूनतम आयु-19 वर्ष तथा दिनांक 31-3-2004 को अधिकतम आयु 35 वर्ष (छ. ग. शासन के ज्ञाप क्र. एफ 3-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 13 फरवरी, 2003 के अनुसार)

7. उच्चतम आयु सीमा में छूटें :-

उच्चतम आयु सीमा में निम्नलिखित शिथिलताएं ग्राह्य होंगी :-

(एक) (1) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज्ड या कांटिंजेंसी पेड कर्मचारियों के लिये दिनांक 31-3-04 को अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जायेगी. यह छूट आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी.

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 31-3-04 को उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक मान्य की जायेगी.

(3) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(5) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- छटनी किये गये सरकारी सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की सरकारी अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

(7) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.

(8) ऐसा आवेदक जो 1 जनवरी 1963 को या इसके पश्चात् राष्ट्रीय छात्र सेवा में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किया गया हो और जिसे उक्त सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया हो, अपनी आयु में से पिछली सेवा की अवधि घटा सकेगा, यदि इसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा के 3 वर्ष से अधिक न हो.

(9) महिलाओं के लिए शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ की निवासी महिला उम्मीदवार की आयु 10 वर्ष शिथिलनीय होगी.

(दो) (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जायेगी.

(2) आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29-6-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3/18/85/371/दिनांक 3-9-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

टीप :-(1) यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक (एक) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम छूट का लाभ ही प्राप्त होगा.

(2) बिन्दु क्रमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी. यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी.

उदाहरणार्थ-यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीनकार्ड धारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त है, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के उपरांत प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जा सकेगी. यदि उक्त वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक है तो उन्हें 5 वर्ष की छूट के उपरांत ग्रीनकार्ड धारकों के लिये दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा.

उपरोक्त 7 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी.

आवेदन करने की प्रक्रिया

8. **आवेदन-पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी-**

आवेदन-पत्र पांच प्रपत्रों में सन्निहित हैं-

(1) **प्रपत्र एक-** आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों, अंक-सूचियों, उपाधि/पत्रोपाधि तथा अन्य दस्तावेजों की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र एक में करें.

(2) **प्रपत्र दो-** आवेदन-पत्र.

(3) **प्रपत्र तीन-** कम्प्यूटर-पत्रक (कम्प्यूटर फार्म)

(4) **प्रपत्र चार-** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप.

(5) **प्रपत्र पांच-** अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप. आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक, दो तथा तीन, सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है; प्रपत्र चार में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है. प्रपत्र पांच में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है.

9. **परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-**

(अ) सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिये जिनमें अन्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं, रुपये 150.00 (रुपये एक सौ पचास केवल).

(ब) छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये रुपये 75.00 (रुपये पचहत्तर केवल).

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र के प्रपत्र-चार में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा प्रपत्र-पांच में आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न किये जायें. इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही, रुपये 75.00 (रुपये पचहत्तर केवल) का शुल्क मान्य किया जायेगा.

उपरोक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा. बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा, रायपुर शाखा, कोड क्र. 03314 रायपुर के नाम से बनवाकर भेजना आवश्यक है. यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है. रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्राफ्ट की जगह बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा. आवेदक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना पूरा नाम तथा गांव/शहर का नाम अवश्य लिखें.

टीप- आयोग को प्राप्त परीक्षा एवं आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों के संलग्न बैंक ड्राफ्ट भी नहीं लौटाये जायेंगे तथा इन्हें आयोग के खाते में जमा किया जायेगा.

10. आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

11. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/अंक-सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिये. इनके अभाव में आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जायेगा और उसके संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा.

(अ) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/

हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण-पत्र.

(ब) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि.

(स) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सारी सार्वजनिक परीक्षाओं की, जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूचियां.

(द) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र-चार में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक प्रपत्र-पांच में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र.

(य) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है.

(र) उपरोक्त 7 (एक) (1) से (3) तथा (5) (6) एवं (8) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र.

(ल) 7 (एक) (7) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र.

(व) 7 (दो) (1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड.

(श) 7 (दो) (2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र.

(ह) 7 (दो) (3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये 'विक्रम पुरस्कार' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र.

(ष) कम्प्यूटर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट.

12. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न निगम/निगमों/मंडलों/राज्य शासन के उपक्रम, अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म पर सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिये निवेदन कर देना चाहिये, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा. तत्पश्चात् यदि आयोग को एक माह के भीतर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आयोग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है.

13. (अ) ऐसे उम्मीदवार को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया है-

(1) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(2) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(3) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो,

(4) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिसमें फेरबदल किया गया हो, या

(5) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(7) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(8) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(9) उनके प्रवेश-पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिन्हें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(10) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो. उपर्युक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी-

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वे उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से.

(2) राज्य शासन द्वारा या/तथा उसके अधीन नियोजन से, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक

कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि-

(1) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो.

(ब) पहचान चिन्ह-

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखे. उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके. किसी भी प्रश्न या प्रश्न के उत्तर या उत्तर के किसी अंश को अन्डरलाईन करना या किसी तरह से हाईलाईट करना पहचान चिन्ह माना जावेगा. उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है. यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा. पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी.

14. यात्रा व्यय का भुगतान-

(अ) लिखित परीक्षा के लिये- छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा. आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अतः वे प्रपत्र तीन अथवा चार जो भी लागू हो, में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा.

(ब) साक्षात्कार के लिये- साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा.

15. आवेदन-पत्र का फार्म एवं अन्य बातें-

(क) आवेदन-पत्र में, इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एक से पांच में मूल रूप में या उसकी फोटोप्रति का प्रयोग कर स्पष्ट भरा जाना चाहिए. टंकित अथवा हाथ से नकल किया गया आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा.

(ख) जो आवेदन-पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा. आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर फार्म जो विज्ञापन में प्रकाशित है, उसी प्रारूप में भरकर भेजें.

(ग) कम्प्यूटर-पत्रक एवं आवेदन-पत्र सावधानी एवं सतर्कता से भरें, जिससे खानों की संख्या प्रारूप के अनुसार ही हो. अपनी जानकारी इन खानों में ही भरें. खानों का अतिक्रमण नहीं करें. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-एक से पांच) केवल एक प्रति में भेजें.

(घ) कम्प्यूटर-पत्रक (प्रपत्र-तीन) में दी गई जानकारी के समान ही आवेदन-पत्र (प्रपत्र-दो) में भी जानकारी दें एवं दोनों में पूर्ण साम्य रखें.

(च) एक आवेदक से एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन-पत्र नहीं लिए जाएंगे.

(छ) एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखा जाये.

16. संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय क्रमांक, यथा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें.

17. ऐच्छिक विषयों के विषयांक (विषय कोड) परिशिष्ट-एक (Annexure-I) में अंकित है, जो अनुक्रमांक है, वे ही विषय के कोड क्रमांक होंगे. तद्नुसार ही आवेदन-पत्र एवं कम्प्यूटर शीट में उल्लेख करें.

18. प्रवेश-पत्र-

आयोग उन सभी आवेदकों को, जिनके पूरी तरह से भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक समय सीमा में पहुंच जायेंगे, साधारण डाक से प्रवेश-पत्र भेजेगा. यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से 15 दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश-पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात् आयोग कार्यालय से सम्पर्क करें. आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी तथा यह सुविधा परीक्षा दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक दी जायेगी. परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जायेगी. ऐसे आवेदकों को, जिन्होंने अंतिम तिथि तक भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचा दिये हैं, उन्हें आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र स्थान पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आवेदकों के नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे.

यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित

नहीं है, परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है, तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें. केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे.

19. **परीक्षा केन्द्र-**

लिखित परीक्षा के लिये रायपुर तथा बिलासपुर परीक्षा केन्द्र रहेंगे. यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा भरा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जायेगा. आयोग परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा. आवेदक को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी.

20. **आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश-**

(अ) आवेदक अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें. फोटो पर एवं आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं.

(ब) स्वयं के पता लिखे दो लिफाफे 32 x 14 से. मी. आकार के अवश्य भेजें. आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 6-/ रुपये का डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर उन्हें आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी.

(स) आवेदन-पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें तथा लिफाफे पर आयोग का पता लिखने के स्थान पर प्रपत्र-एक के नीचे दिया गया कूपन काटकर चिपकायें. इस विवरण के बगैर प्राप्त लिफाफा में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्रवाई संभव नहीं होगी.

(द) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17-6-2003 है. अंतिम तिथि (5.30 बजे अपरान्ह) तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है. आवेदन-पत्र रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना चाहिये, किन्तु आयोग कार्यालय के काउन्टर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) में कार्यदिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र दिये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी.

रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माने जाएंगे. डाक से विलंब के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा.

21. **आवेदन-पत्र भेजने का पता-**

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड,
रायपुर-492 001

22. **चयन प्रक्रिया-**

सफल उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक तथा साक्षात्कार में प्राप्तांक के योग के आधार पर गुणानुक्रम में किया जायेगा.

23. **लिखित परीक्षा-**

उक्त पदों के लिये आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी लिखित परीक्षा की योजना परिशिष्ट-I (Annexure-I) में तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-II (Annexure-II) में संलग्न है. परीक्षा की तिथि तथा समय की सूचना यथासमय प्रकाशित की जायेगी तथा आवेदकों को प्रवेश-पत्र में सूचित की जायेगी. लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुने के अनुपात में तथा तीन गुने आवेदकों की सूची में अंतिम आवेदक के समान अंक प्राप्त करने वाले समस्त आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा. किन्तु लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, परन्तु छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी और उनके लिये कम से कम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा. साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

23. सामान्यतया अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आवेदकों को सामान्य डाक से उनके आवेदन-पत्र में दर्शाये पते पर भेजी जाती है, किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है, तो डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिये पर्याप्त डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रु. 50/- का रेखांकित पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर 492 001 के नाम से भेजें.

मुद्रण की किसी त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

सचिव

प्रपत्र-एक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के संलग्न किये जाने वाली अंकसूची/उपाधि/प्रमाण-पत्र आदि की प्रतियों का विवरण

आवेदित पद का नाम ....

आयोग का विज्ञापन क्रमांक..

अनुक्रमांक	विवरण	अभ्युक्ति
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		

....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम व पता..

....

....

सूचना-निम्नांकित कूपन को काटकर या इसकी फोटो कापी आवेदन-पत्र के लिफाफे पर चिपकायें.

(यहां से काटिये)

(यहां से काटिये)

राज्य वन सेवा परीक्षा-2003

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड,
रायपुर-492 001

(यहां से काटिये)

(यहां से काटिये)

प्रपत्र-दो

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदन-पत्र

(आवेदक स्वयं ही बॉल पाईंट पेन से भरे)

विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/5-5-03/2003

पद-सहायक वन संरक्षक.
विभाग-वन

1. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण

राशि रूपये..
क्रमांक..
दिनांक..
जारी करने वाले बैंक का शाखा का नाम..........

महत्वपूर्ण सूचना

1. विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और आवेदन-पत्र के प्रत्येक कॉलम के समक्ष सही जानकारी दें.
2. कृपया सुनिश्चित करें कि-
(अ) आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर फार्म में दी गई जानकारी में कोई भिन्नता नहीं है.
(ब) पर्याप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया गया है.
(स) आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर फार्म पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा	
पंजीयन क्रमांक	अनुक्रमांक

आवेदक यहां अपना नवीनतम फोटो पासपोर्ट आकार (5 x 7 से. मी.) का चिपकायें तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करें.

2. आवेदक का नाम :
हिन्दी में - श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ. ....
अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) Shri/Smt/Ku/Dr. ....

3. लिंग-पुरुष संकेतांक 01 लिखें
महिलाएं संकेतांक 02 लिखें

4. पिता/पति का नाम : ....

5. आवेदक का- (अ) वर्तमान डाक का पता : ....
....
....पिन..........................

(ब) स्थायी पता : ....
....
....पिन..........................

6. जन्म दिनांक-(हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी या समकक्ष प्रमाण-पत्र के आधार पर, प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

दिनांक	माह	वर्ष	शब्दों में

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हां/नहीं

8. जन्म स्थान : ग्राम/शहर/जिला/राज्य

ग्राम/शहर	जिला	राज्य

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
यदि हां तो अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में जिस श्रेणी के हैं, उस श्रेणी का नाम लिखें. श्रेणी
(टीप-छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसे भरें. छ. ग. के बाहर के निवासी सामान्य श्रेणी के ही माने जायेंगे.)

10. ऐच्छिक विषय-
(परिशिष्ट-I में दिये गये विषयांक 01 से 12 में से दो विषय लिखें) केवल कोड नंबर लिखें. (a) ☐☐ (b) ☐☐

11. दर्शाये गये परीक्षा केन्द्र और उनके कोड क्रमांक में से आवेदक जहां परीक्षा देना चाहते हैं, वह कोड क्रमांक लिखें बिलासपुर-01 तथा रायपुर-02. ☐☐

12. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण- (प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें.)

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि. वि. का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	श्रेणी/प्राप्तांक	प्रतिशत	परीक्षा के विषय	शैक्षणिक संस्था का नाम	प्रमाण-पत्र क्रमांक
हाईस्कूल/ मेट्रिक्यूलेशन							
इंटरमीडिएट/ हायर सेकेण्डरी							
स्नातक उपाधि							
स्नातकोत्तर							
अन्य							

13. यदि आप सेवारत हों या पहले कहीं सेवारत रहे हों, तो ऐसी सेवा का पूरा विवरण दें :- (प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति कब से कब तक	कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते सहित	प्रमाण-पत्र क्रमांक

14. यदि आवेदक आयु सीमा में छूट चाहता है तो विज्ञापन के अनुसार छूट का क्रमांक लिखें तथा उससे संबंधित प्रमाण संलग्न करें. ....

घोषणा-पत्र

मैं......................घोषणा करता/करती हूं कि मैंने उक्त पद हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/5-5-03/2003 का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही इस आवेदन-पत्र को भरा है. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है तथा कम्प्यूटर फार्म में दी गई जानकारी समान है. मुझे शासकीय सेवा या अन्य सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है और न ही हटाया गया है. किसी न्यायालय द्वारा मुझे दण्डित भी नहीं किया गया है. मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है. किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण भी मेरे विरुद्ध नहीं चल रहा है. संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से मुझे वंचित नहीं किया गया है. यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है या छिपाई जाना पायी जाती है तो आयोग द्वारा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जो मुझे मान्य होगी.

....
आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान .... नाम व पता...
दिनांक ....

प्रपत्र-तीन

CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE COMMISSION

Computer form-
Advertisement No. 03/Examination/5-5-03/2003 POST- ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS
DEPARTMENT : FOREST

(All columns except the Registration number and Roll number to be filled in by the applicant himself in English capital letters with Ball point pen).

Note :- 1. Use the Computer Form printed in the advertisement or its photocopy.
2. The Information given in the Computer form must tally in all respects with the information given in the application form.

1. Particulars of the Bank Draft

Amount and Number Rs. Paise

Date of issue

Name of the issuing Bank its Branch

For official use only

Registration Number

Roll Number

2. Name of the applicant Shri/Smt./Ku./Dr.

25 Blocks

3 Sex : For Male Code No. 1 and Female Code No. 2 1 Block

4. Father's/Husband's name

25 Blocks

5 Postal Address

(Do not write name, write only postal address)

30 Blocks

30 Blocks Pin Code

6 Blocks

6. Date of Birth as indicated in High School/ Higher Secondary or equivalent certificate. Date Month Year

7. State of Domicile if a bonafide resident of Chhattisgarh write Code Number-01
If not a bonafide resident of Chhattisgarh write Code Number-02

2 Blocks

8. Details of Place of Birth
1. Town/City 15 Blocks
2. District 15 Blocks
3. State 20 Blocks

9. Please indicate code No. of the category belonged to from the table given below. Only docimiciled candidate of Chhattisgarh should indicate their actual category Viz SC, ST. or OBC.

Category	Code Number
General	01
Scheduled Caste	02
Scheduled Tribe	03
Other Backward Class	04

2 Blocks

Note : All the applicants belonging to other States will be treated as General Candidates.

10. Write the subject code No. of the optional subject offered by you. Refer the Annexure-I of the Advertisement for the code number of the optional subject. — Optional subject-I [|] II [|]

11. Indicate from the Centre given below Code Number of the Centre of Examination Opted. Bilaspur-01 and Raipur-02. [|]

12. If you are government servant yes-01 or No-02 [|]

13. Does the candidate want relaxation in the age limits yes-01 or No-02 [|]

2 Blocks

Declaration

I hereby declare that the entries made above are true to the best of my knowledge and belief and that the information given in this Computer Form and the application form are indentical in all respects. I have read the advertisement and understood the same. I have not been dismissed from any Government or other services. I have not been punished by any court. there is no departmental enquiry pending against me. There is no case pending against me in any criminal court. I have not debarred from any examination/selection of Union or State Publice Service Commission. If any entry or information is found to be untrue or that any material information is concealed, I shall be liable to action as may be deemed proper.

....

Signature of the Candidate

Place : Full name and permanent Address of the applicant ....

Date : ....

ऐसे उम्मीदवार जो छ. ग. शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हैं तो वे संबंधित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :-

प्रपत्र-चार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ———————— जिला ———————— छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ———————— प्रमाण-पत्र क्रमांक ———————— प्रकरण क्रमांक ————

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— पिता/पति का नाम ———————— निवासी ग्राम/नगर ———————— प. ह. नं. ———————— तहसील ———————— जिला ———————— संभाग ———————— जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इन जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ———————— जाति/जनजाति अनुसूचित एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक ———————— पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— पिता/पति का नाम ———————— अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ———————— के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ———————— है.

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक

प्रपत्र-पांच

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग —————— जिला —————— छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक —————— प्रकरण क्रमांक ——————

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ——————

आत्मज श्री —————— निवासी ग्राम ——————

जिला/संभाग —————— छ. ग. के निवासी हैं जो ——————

जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री —————— और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ——————

संभाग —————— में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री —————— क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची क्र. कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आ. प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की सूची के कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी —————— के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये —————— है.

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

पदनाम

CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE-FOREST SERVICES EXAMINATION FOR SELECTION OF ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS.

SCHEME OF EXAMINATION AND SYLLABUS OF COURSES

राज्य वन सेवा परीक्षा-2003

ANNEXURE-I

SCHEME OF EXAMINATION :

The examination shall be conducted according to the following plan.

(A) WRITTEN EXAMINATION By public Service Commission C.G.

(B) INTERVIEW -do-

(C) PHYSICAL ENDURANCE TEST By State Government

Male	Female
26 kms.	14 kms.

(walk to be completed in 4 hrs.)

(D) MEDICAL EXAMINATIO

(A) WRITTEN EXAMINATION :

There shall be two sets of papers

1. Compulsory and
2. Optional.

1. COMPULSORY SUBJECTS :

	Paper	M. Marks	Duration
(a)	General English and Hindi.	150	2 hrs.
(b)	General Knowledge Objective Type.	150	2 hrs.
(c)	Elementary Maths Objective Type.	150	2 hrs.

2. **OPTIONAL SUBJECTS :**

(OBJECTIVE AND SHORT-ANSWER TYPE)

S.No. Sub. Code	SUBJECTS	M. MARKS	DURATION
01.	Botany	200	2 hrs.
02.	Zoology	200	2 hrs.
03.	Physics	200	2 hrs:
04.	Chemistry	200	2 hrs.
05.	Mathematics Pure.	200	2 hrs.
06.	Mathematics Applied.	200	2 hrs.
07.	Geology	200	2 hrs.
08.	Agriculture	200	2 hrs.
09.	Statistics	200	2 hrs.
10.	Civil Engineering.	200	2 hrs.
11.	Mechanical Engineering.	200	2 hrs.
12.	Forestry	200	2 hrs.

Note :- 1. Candidates desirous of being selected as an ACF are required to offer any two of the above optional subjects.

2. Candidates have the option of answering he General knowledge. Elementary Mathematics and Optional Subjects either in English or in Hindi.

For General English and Hindi Paper, the Language used will be determined by the given Instructions.

(B) INTERVIEW

Interview Marks for ACF candidates ... 100 Marks

(C) PHYSICAL ENDURANCE TEST :

The candidate will be required to undergo a physical endurance test consisting of a walk in four hours for a distance mentioned below :

Male	Female
26 kms.	14 kms.

(D) MEDICAL EXAMINATION

A Medical Board will examine the candidates and record their height and chest measurements, testify to the candidate's power of hearing and sight and general physical fitness for rough outdoor work in the Forest Department.

STANDARD OF EXAMINATION :

The Standard of examination for all the papers, except elementary Mathematics, shall be that of Graduation Examination or equivalent thereof. The standard of Examination for elementary Mathematics shall be that of matriculation examination or equivalent thereof.

ANNEXURE-II

SYLLABUS OF COURSES :

COMPULSORY SUBJECTS :

(1) General English And Hindi :

This paper will be divided into two equal portion; one General-English and the other for General Hindi. Each of these portions will have essay and translation parts.

(2) General Knowledge :

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspecis as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subjects. The paper will include questions of the Indian Constitution and also questions on India, History and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

(3) Elementary Mathematics :

Arithmatic :

Average, Profit and loss, simple and compound interest, Area, Time, Work and Labour, Time and distance, Squre Root, Percentage, Ratio and Proportion use of log table. Volumes of rectangular surface and solids.

Algebra :

Fundamental laws and first four rules, additions, subtraction, multiplication, division, simple formula and their use factors, HCF and LCM by factors. Fraction, simple equations, factors of easy trinomial expression of second degree.

Geometry :

Line and angles, parallels, triangles. congruence, Inequalities parallelograms, applications of parallels, bisectors, perpendiculars etc. construction of angles. construction of triangles. construction of quadrilaterals. theorems of areas of triangles and parallelograms, Areas of quadrilaterals, theorem of pythagoras and its convers, reduction of quadrilaterals to an equivalent triangle, reduction of a rectilimel figure to a triangle or rectangle of equal areas, construction of arectangle of given area and having one side of given length miscellaneous construction, loci, Intersection of loci, exercises on loci.

Trignometry :

Circular measure, definitions of trignometric ratios, simple problems on heights and distance.

2. **OPTIONAL SUBJECTS :**

1. **Botany :**

(1) Principles of Botanical classifications of species in Plant Kingdom.

(2) **Thallophyta-** Characters and classification :

(i) Algae- Characters, Classifications & economic importance.

(a) Cyanophyta - Oscillatoria

(b) Cholorophyta - Chalmydomonas, Volvok Cladophora, Coleochaete and Chara.

(c) Chrysophyta- Vaucheria.

(d) Phaeophyta- Ectocarpus. Sargassum

Filicales- Measilia.

(ii) Fungi- Distinguishing characters, classifications and economic importance.

(a) Phycomycetes- Saprolegnia, Peronospora.

(b) Ascomycetes- Pezizn.

(c) Basidiomycetes- Ustilago, Puccinia.

(d) Deuteromycetes- Alternaria.

(iii) Lichens- General study.

(3) **Brophyta-**

(a) Hepaticar- Riccia, Marchantia, Anthoceros.

(b) Jungermanniales- Pellia

(c) Bryalae- Polytrichum.

(4) **Pteridophyta.**

(a) Psilophytales- Rhynia.

(b) Lycopodiales- Lycopodium, Selaginella

(c) Filicales- Maesilia.

(5) **Gymnosperms-** Study of general characters and classifications.

(6) **Angiosperms-**

(i) General principles of classifications, morphology, anatomy and life history.

(ii) Study of following families :-

(a) Monocots- Orchidaceae, Musaceae, Palmae, Graminae.

(b) Dicota-Ranunculaceae, Capparidaceae, Papaveraceae Rutaceae, aryophyllaceae, Rosuceae, Cucurbitaceae, Myrtacea, Umbelliferae, convalvulaceae, Apocynaceae, Aeclepia daceae, Euphorbiaceae, Acanthaceae Labiatace, Compositate.

(iii) Economic Botabny- Wheat, Rice Groundnut (Elementary study), Cotton, Sugarcane.

(iv) General Biology.

(7) (i) Plant Physiology.

(ii) Ecology- Elementary knowledge of water and air pollution, ecosystem, plant succession, vegetation types of India.

2. **Zoology :**

(1) Evolutions and adaptatives.

(2) General classification of the phyla, mentioned below upto order and bionomics, structure exactional anatomy and life history of the following animal types.

(i) Lower non-chordate.

Protozoa-Paramoecium, Vorticella, Monocystis

Porifera-Sycon

Coelenterata-Auralia

Helminthes Ascaris, Fasciolo

Annelida nereis, Hirudinaria.

(ii) Higher non-Chordate

Arthropoxia-Palaemon, Scorpion (Palamneus)

Mollusca-Pila, Unio

Echinodermata-Starfish

Hemichordate-Balenoglossus.

(3) Cell biology and genetics.

(4) Classification, Structure of different organ systems and development of the following :-

Comparative study of the following systems of vertebrates with particular Reference to integument girdles, heart, aortic arches, urinogenital system.

(A) LOWER CHORDATA :

(i) Urochondata-Herdmania

(ii) Cephalochordata-Barn-Chiostoma (Amphioxus)

(iii) Cyclostomata-Petromyzon

(iv) Pisces-Scoliodon

(B) HIGHER CHORDATA :

(i) Reptilia- Uromatix, varanus, poisonous and non-poisonous snakes.

(ii) Aves- Columba.

Also Rana, Uromatix, Oryctolagus.

(iii) Development of chick and Placentation in mammals.

(iv) General physiology of digestion, Excretion, Osmoregulation, Respiration, Muscular Contraction, Nerve impulses conductions, composition of blood, Blood groups and blood clotting, Heart beat.

(v) Ecology- Man and Biosphere, Factors affecting environment, Ecosystems.

(vi) Limnology- Basic concept

(vii) Wildlife- Elementary knowledge of mammalian fauna.

Wildlife- conservation, game birds of C.G.

3 **Physics :**

(1) Mechanices- Inertia, frame of reference, special theory of relativity, Moment of inertia, compound, pendulum, vectors, conservation of energy, moment of inertia compound pendulum, elasticity, viscosity, surface tension.

(2) Magentism - Magnetic field and electromagnetic induction.

(3) Electricity- Current electricity-Elecrrostatics, Gauss law and dielectrics, Electric current and measurements, alternating current.

(4) Electronics, oscillatory circuits, thermionic emission.

(5) Modern Physics-Motion of charged particles, dual nature of radiation and particles, Special theory of relativity and atomic structure, atomic nudleous, natural and artificial radioactivity.

(6) Properties of matter.

(7) Heat, light and sound.

4. **Chemistry :**

(1) Physical Chemistry : General ideas of physical chemistry, solids, liquids and gases.

(2) General Chemistry : Periodic table, atoms and molecules and their structure, radioactivity.

(3) Inorganic Chemistry : Comparative study of elements of the periodic table, Study of occurrence, Physical and Chemical properties of H, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Li, Na, K, Rb, Cs, [illegible], Ca, Ba, Ra, B, Al, C, Si, Sn,

Pb. N, P, As, Sb, Bi. O, S, Se, F, Cl, Br, I, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Ti, V, Ag, Pt, Au, Hg, U.

(4) Chemistry and Principles involved in qualitative and quantiative analysis.

(5) Study of oxides, hydroxides, peroxides, Carbonates, Bicarbonates. hydrides, sulphates, sulphites, sulphides. phosphates, phosphites, nitrates, nitrites, fluorides, chlorides, perchlorates, permaganates, bromides. bromates, iodids, Borates, study of monovalent, bivalent and trivalent salts of metals.

(6) Industrial production of sugar, paper, cement.

(7) Organic Chemistry : Saturated and Unsaturated aliphatic hydrocarbons including structures and aldehyde, ketone, acide, alcohol and ester compounds, Organometalic compounds; aromatic hydro carbons-benzene, naphthalene and Xylene & their structure. Nitro, Chloro & sulphonic Derjvatives of Benzene, Cabbohydrats and Dyestuffs.

5. Mathematics Pure :

(1) Modern Algebra-

(i) Analysis-Real number functions, integrability.

(ii) Rings, integral domains and fields. Matrices and determinants (Elementary theory only).

(iii) Vector analysis and analytical geometry of two dimentions.

(iv) Analysis.

(2) Integral Calculus- Integral of rational function-Integral of Transcendantal functions. Definite integral.

(3) Differential calculus, Differential Equation of first order & first degree, linear equations of the second order with constant coeficients, homogeneous equations, variables and separables equations of the first order but not of the first degree.

(4) Algebra-Set theory; number system, groups. plynomial rings.

(5) Trigonometry-Complex numbers inverse trigonometrical functions, hyperbolic functions. functions, summation of trigonometric series. Demoivre's theorems with simple applications.

6. Mathematics Applied :

(1) Dynamics of a particle and elementary rigid dynamics.

(2) Spherical Trigonomentry and Astronomy.

7. Geology :

(1) Physical Geology- Geology and its relations to other sciences, General Study of earth Hydrosphere Lithosphere processess of weathering.

(2) Structural Geology, General Scope, Study of Folds, faults unconformities. joints, dip and strike.

(3) Palaentology Definitions and Scope of Palaentology and its application. Fossils and their mode of preservation and occurrence and usess. Study of invertabrate and vertbabrate fossils.

(4) Stratigraphy Principles of stratigraphy with special reference to India Minerology study of Economic mineral of Iron, Copper, Manganese Aluminium Magnesium, Carbon, Gold, Silver. Study of Coal and Petroleum. Crystallography General principals of Crystallography with special reference to various forms of cristallation of minerals. Petrology-Scope and definition of petrology. study of earth and various igneous, sedimentry and metamorphic rocks.

8. Agriculture :

(1) General Agriculture :

Tillage : Tillage : Implements : Construction and working action of tillage implements, manurin. Elementary knowledge of plant food, Classification of manure weed. kinds of weed. effects of weeds on crop and soil. methods of eradication of weed, Irrigation. Object of Irrigation, Source of Irrigation water, simple water lifts. Different methods of irrigation laying out of land for irrigation Drainage, Different types of drainage, objectives of drainage and its effects on crop and soil. Elementary Survey. Use of chains optical square, cross staff off-set rod. Dumpy level. Recording field book. poultry-farming-important common breeds, feeding of poultry, Management, housing health and sanitation common diseases of poultry and their preventation and control.

Field Crops- Classification of Crop. mixed crop rotations, dry farming; Major rabicrops, Minor rabi crops, Major Kharifcrops. Minor Kharifcrops, operations connected with crops preparation of land sowing operation : seed rate : Manuring. Irrigation and rainfall, Interculture weeding. Harvesting, Thrashing winnowing, out turn per acre, Harmful insects; pests and diseases and their control methods.

(2) Botany and Horticulture :

Botany- Leaves, Part of leaf and their functions. functions of leaf, simple and compound leaf. medifications of leaf. stripules and venation inflorescenc, flowers, part of typed flower and their modification. insertion of floralleaves, functions of various parts of flowers, pollination; cross pollination; self pollination; different agencies for pollination; Fruits classification of different kinds of fruits with example and their structure. seed and fruit dispersal; structure of a plant cell; Elementary ideas regarding tissue system; General idea regarding the morphology of monocotyledonous root, monocotyledonous stem dicotyledonous root, dicotyledonous stem; Families-loguminaceae Graminea Malvaceae, compositae, solanaceae.

Horticulture : Different methods of propagation of plants cutting layeing Cooti and Budding methods. Different designs of laying out a decorative flower and fruit garden, cultivation of vegetable crops. cultivation of fruit crops, cultural operations, spacing prunning and manuring, Elementary ideas about plant physiology. osmosis, root pressure, respiration transpiration carbon assimilation.

(3) Agriculture Physics and Chemistry :

Agriculture Physics.

Archimedes principle and its verfication, specific

gravity of solids and liquids by the principle of Archimedes, law of Floatation and conditions of Floating Nicholson's hydrometer, lactometer, Molecular structure of matter, forces of inter-action between-Molecules and soilds. liquids and gases, motion of molecules, vernier scale : pitch and least count; vernic callipers, screw gause and spherometer their construction, working and uses, Velocity, acceleration an Force, Derivations and three equations of motions and problems based on them Acceleration due to gravity and its determination by a simple pendulum, problems relating to Motion under gravity, Centre of gravity and equlibrium of bodies; principle of moments; difference between mass and weight of a body composition of two Forces along a straight line, resultant force, parallelogram of forces, work, energy, Power and horse Power derivation and physical significance, law of Conservation and transformation of energy. Friction derivation and physcal significance. Familiar methods of increase and decreasing friction, determining. co-fficient of friction simple machines such as plane, lever, pulley, simple wheel their construction and working Mechnical advantage of machine Derivation of expression for machanical advantage of machines referred above.

Natural and artifical magnets magnefisation by single and divided tuch Electromagnet molecular theory of magnetism : distruction of magnetism, magnetic-keepers, Mariner compass, simple voltaic cell and Deniel cell, cell in series and paralled accumulator.

Mathematics :

Defination of trigonometrical ratios determination of the trigonometrical ratios of the angles- 0^0, 30^0, 45^0, 60^0, 90^0, Derivation of the formulae (1) Cos2a + Sin2a = 1 progressions (arithmetic, geometric and harmonic) simple problems on them; Application of trignometrical-formulae to the solution of triangles and problems of height and distances.

Agricultural Chemistry :

Mineral acids (HCl, H_2SO_4 and HNO_4) their properties and action on metals; preparion and properties of Hydrogen, Tests for Chlorides, Sulphates and Nitarates. Action of water on metals sodium, (Potassium calcium magnesium, iron and zinc) under various conditions water, natural water, Sources of water Hard and softwater, kinds of hardness, Methods to remove hardness on small and large scales, Composition of water (volumetric and gravimetric), Atom and molecules, Atomic and molecular weight, Dalton's Atomic theory, laws chemical combination, laws of Conservation mass, law of constant propostions, education of chemical law from Daltons, Atomic theory, symbol, molecular formulae and equation valency. Equivalent weight determination of equivalent weights of elements, relation between equivalent weight atomic weight and valency, Avagadro hypothesis, its, enunciation and important deductions. its, relationship with Daltons atomic theory, detenuination of solubility of common substances at room and outer temperatures, Solubility curve, its significance Ionisation Ionic dissociation, Electrolysis definition and application Faraday's law of electolysis Nitrogen cycle, Oxides of nitrogen preparation and properties of Ammonia gas.

Carbon, its physical and chemical properties, allotropes of carbon and their common physcial properties carbon assimilation by plants, carbonic acids and its salt tests for carbonates and bicarbonates sulphur its physical and chemical properties allotropes of sulphur and their common physical properties Laboratory preparation of $3CO_2$ and H_2S.

Phosphorous, its allotropes and their properties, Iodine of phosphorous, phosphoric, acid phosphates, phosphatic, fertilizers, chlorine, Bromine and Iodine their laboratory preparation, common physical and chemical properties, bleaching action and properties of chlorides bromides, and iodides, Silican and its physical and chemical properties, silica, silicates (their common properties), Neutralisation (Acid, base and salts) Standard and Normal solution, strength of a solution, simple filtration, simple problems of filtration, Indicators :

Physcial and chemical properties of the following metals and compounds noted-against each.

Sodium and Potassium :

Oxides, Hydroxide, chlorates, nitrates, sulphates, carbonates,

Calcium- Oxides, hydroxides, chloride, sulphate and carbonate, cement and mortar.

Copper-Oxide, nitrates and sulphates, brass.

Alluminium-Hydroxide, chloride, sulphate, nitrate and carbonate.

(4) Animal Husbandry and Dairy Farming :

Elementary life : history and general structure of liver fluke ticks, and mites, Housing of farm and dairy care of cattle, enclosures for farm animal, Animal hygiene, care of cattle common diseases of farm animals and their prevention. Fooding principle and preparation of ration, maintenance of production of ration, for different animals, study of following system with reference to ox or cow (i) Heart and blood circulation of cow, (ii) Digestive system (iii) Milk secretion and its organs, Milking of cow, different methods of milking operation. Hygiene and handling of milk. principle of sanitary production of milk, factors affecting quantity and quality of milk, Testing of milk, physical properties of milk, use of lactometers, Gerber's butyrometers, General idea of bacteria in specific gravity of milk, composition of milk and milk products, cream, the use of cream separators an its construction. Manufacture of Dahi, Butter, Khowa and Ghee. General idea regarding dairy farming as a business in village and town.

9. Statistics :

(1) Applied Statistics-Application of statistics, sampling, surveys, application of statistics to Economics, Agriculture and Industry, Statistics in Psychology and Education. Official Indian Statistics.

(2) Theoretical Statistics.

(3) Mathematical probability and Mathematical statistics.

10. Civil Engineering :

Stress in frames Deflection of frames, Design of tension and compression members. Revetted joints.

Bending and deflection of Beams, shear force stresses due to Bending design of steel Beams.

Theory of re-inforced concrete design of R. C. C. Slab, beams, columns, and footing, earth, Pressure retaining walls.

Indetorminate structures, porpal frames moment Distribution, Slope deflection and Column analogy. Plastic theory and its application.

Pressure distribution in-soil, Design of Shallow and deep foundations. Settlement and bearing capacity of soils.

Flexible and Rigid payment Design.

Sources of errors and precision required in travelling Traverse tables. Traingulation, theory and use of the simple plane-table and target clinometer. Two point problem and three point, Techometric survey, Railway curves and alignment.

11. Mechanical Engineering :

Modern High Pressure Steam Plant, Regenerative Reheating, high pressure toping and binary vapour cycles, their efficiencies and effect on the performance.

Gas Turbines : gas turbine cycles, open and closed, components of gas turbine power plant compressors, combustion chamber, turbine, heat exchanger different types their construction details.

Theories of Elastic failure :

Application to design problems, comparison of theories conjugate stresser.

Thick walled pressure vessels, compound thick cylinders. External loading by shrings fits Variation of stresses. Thick walled spheres.

Stresses in rotating rims, longitudinal transvers and torsinal vibrations Critical speeds.

Brakes and Dynamoments : The band brake the band and block brake. Absorption dynamometers proay-brake, rope and band brake, hydraulic absorption, dynamometers. Transmission dynamometers Torsion Dynamometers.

Cutting Tools : Analysis of cutting action true rake and clearance angles for cutting different materials, forces on tools, power absorbed chiep clearance chiep breakers, toos life, different type of tools, their application, grinding of tools, lubrican; Cutting oils and solutions, their use.

Grinding and Grinding Machines : Surface grinding, cylindrical grinding, centreless grinding and broaching machines.

Hydraulic Turbines : Performance of pelton wheels, performance, power and speed control of Francies turbine, types of draft tubes. propeller-turbines, constructional details, velocity traingles, output performance, cavitation in turbines and effect, Hydraulic turbine governers.

Selection of Prime Movers : Operating pressure and tem. number of units turbine auxiliaries lubricating systems condenser plant, Circulation water system, Cooling circulating water.

Dynamics of Machinery : Static Balancing of revelving masers, Primary and Secondary balancing reciprocating masses, Critical speed whirling of shaft.

12. Forestry

(A) Silviculture :

Introduction; definition and extent of forests, History of forests and forestry in India.

Role of forests - Productive, protective, recreational, ameliorative.

Environment of forests - locality factors and their effect on vegetation, Influence of forests on their enviornment. Forest types of India and their distribution theory and practices involved in natural and artificial forest stand regeneration.

Nursery management Biology of seed production by forest trees. Forest tree seed collection, extraction, storage, testing and grading of seeds; seed certification and germination.

Afforestation method for saline & alkaline soils, ravinous and degraded areas, shifting sand dunes, road sides, canal and riverbanks, railway and high-tension line and foreshare areas of irrigation tanks etc.

Protection and maintenance of plantations.

Tending operations.

silvicultural systems - definition, objectives and classification cutting systems and cultural operations including clear felling; shelter wood, selection and coppic copplce systems.

(B) Forest Management :

Fundamental principles and analytical techniques used in planning, management and optimization of forest systems. Elementary forest harvest scheduling for even and uneven aged stand, Sustained Yield-concept and meaning, felling series rotation, felling cycle, cutting series.

Normal forest - definition and concept.

Actual growing stock and its increment. Yield regulation general principles, various methods of yield regulation, application and control of different methods of yield regulation in forest management. Forest Management Resource Analysis-integration of biological, economic, mathemetical and amenity characteristics of the forest system in making forest management decisions. Sustained forest management concepts and approaches.

(C) Forest Utilisation :

Definition, Scope and terminology.

Wood anatomy, structual properties of wood; density texture.

Wood seasoning and wood preservation. use of adhesives, plywood, particle-board, pulp & paper saw milling and wood based industries.

Logging - definition, practices, tools and equipment, Organisation and management - Forest labour organisation, Non-timber forest products, uses and importance-bamboos and canes, oil seeds, gums, resins and oleo-resins, fibres & flosses. drugs, poisons, insecticide. lac & shellac, silk and tassar, wax. honey, ivory, tans & dyes, rubber & gutta percha bidi leaves.

(D) Forest Protection :

Classification of injurious agencies - man, animals, insects, plants, atmo spheric agencies.

Forest fires - causes and character of forest fires, fire prevention, pre-suppression activities in fire control. Shifting oultivation.

Illicit fellings - Problem and remedies.

Encroachments -

Grazing - Cattle resources, fodder requirement, grazing management-controlled grazing rotational grazing and deferred grazing.

Plant diseases - causes, symptoms, privention and control-wilt diseases, root diseases, heart-rots in trees, diseases due to rusts and micro-fungi, diseases due to physiological causes, virus disease.

Forest & entomology - insect pests of standing trees, biology, life history and control of insects of economic importance in forestry, principles and methods of insect pest control.

(E) General Botany :

Taxonomy - Nomenclature and classification of plants, Systematic botany of Indian Forest plants follcring Bentham & Hookers system, Distribution, distinguishing characteristics and economic importance of the following families :-

Ranunculaceae, Loguminoceae Rosaceae, Malvaceae Rutaceace, Myrtaceae, Solanaceae, Asteraceae, Urticaceae, Liliaceae Graminae, Euphorbeaceae Dipterocarpaceae and varbenaceae.

Plant Anotomy - the tissues, tissue systems, cambium, primary and secondary growth in roots and stem, leaf anatomy.

Plant physiology - Physiology of the cell-water relations, osmosis impbibition absorption, ascent of sap, Transpiration and related factors, mineral nutrition, Motabolism, synthesis of carbohydrates, protein and fats seed germination and dormancy.

(F) Plant Breeding and Tree Improvement :

Plant breeding - history and development. Mode of reproduction in plants and their importance in plant breeding. Methods of breeding of self pollinated, cross-pollinated and vegetatively propagated crops.

Hybridisation - objective & procedure. Sterility and incompatibility. Heterosis and its role in Plant breeding.

Mutation - Typesand significance in plant breeding. Tree Improvement in forest management programme. Tree selection and propagation, Plus tree selection, Three variation, Progainy testing, provenance trials, establishment and management of seed orchards, Vegetative propagation and techniques its use in tree improvement.

(G) Forest Policy & Legislation :

Forest Policy - definition, scope and range contents of a national forest policy. India's national forest policy of 1984, 1952 and 1988.

Forest Law - Leagal definition, application of penal code to forests, object of special forest law-Indian Forest Act, 1927 Wild Life Preservation Act. 1972. Forest Conservation Act, 1980.

(H) Soil and water conservation :

Soil Conservation-definition, scope and role in national economy, soil erosion-definition, extent, principles and agencies. Erosion control measures and practices. Hydrological cycle, Soil and water Conservation measures in irrigated and rainfed areas.

Water Sheds - Principles of watershed managemnt, watershed management practices.

(I) Surveying and Mapping :

Forest surveying - objects and scope, definitions, plane and geoditic surveys, cadastral, topographical, geographical, city route and engineering surveys, erros in surveying. Scales. Measurements of distances and angles, chain survey, chain & compass survey, plane table survey, levelling, maps and map reading, copying, enlargement and reduotion of maps computation of areas.

(J) Forest Engineering :

Building materials, Building construction - Selection and preparation of site foundations, walls, brick work, masonry, lintels, arches, carpentry and joinery, roofs, roof conerings, floorings. stairs, doors, windows, fire places and chimneys, lightning coaductors, preparation of estimates.

Roads - General principles, types of roads and paths. principles of road design, road alignment construction of road curves, maintenance of roads, preparation of road estimates.

Bridges - Type of bridges site selection, bridge construction and preparation of estimates.

Water - Sources of water, sinking of wells, different types of well, yield of wells and streams, purification of water survey of ground water resources clearing and protection of wells.

(K) Forest Mensuration :

Use of mathematical models of resource systems to explore...management strategies, problem analysis, system concepts and optimisation of resource allocation, static and dynamic forest models. evaluation of regression techniques.

Measurements of individual trees and populations measurement of felled trees, estimation of volume of standing trees determination of age of trees methods of determination of growth of trees, growth curves, Measurement construction and compilation of volume, site index and yield table and equations. forest inventories and crop measurements, Enumarations and sampling, Application of remote sensing techniques in forestry.

(L) **Forest Economics and Valuation :**

Definition, role and relevance to forestry, tools of economic analysis, demand and supply, market structure, factors of production, law of siminishing returns, cost of production, Forest valuation - concept of dinterest on capital, present worth, internal rate of return, load expectation value and concept of profit. Planning in forestry, project formulation and evaluation, concepts of budgeting with application to forestry, role of forestry in Indian economy.

(M) **Social Foresty :**

Social Forestry - definition, scope, necessity, objectives, special significance in the context of energy and small timber requirements.

Farm Forestry - need, scope and role in rural economy establishment of farm forests - choice of species, planting techniques maintenance, organisation of the programme, role of forest department.

Current trends in agro-forestry - Agro forestry systems-advantage and constraints. Classification of agroforestry practices and systmes. tree architecture and its role in agroforestry.

Fodder farming - trees grasses and legumes. Nutrient content of different fodder and posture species.

Extension - meaning, objectives, philosophy and principles. Extension education vs. formal education. Role of panchayats in Social forestry. Social Psychology-nature, scope and relation with other sciences. Methods in social psychology-observation interview, questionnaire, sociometry and experiment, Motivation, Mass behaviour, tools and equipments in extension programmes. Rapid rural appraisal and Participatory rural appraisal techniques and importance.

(N) **Forest Ecology :**

Basic ecological principles and concepts, Scope and importance of ecology in conservation of natural resources, land use, forestry, grassland management and wildlife. Ecology and its relation to other sciences. Concepts of ecosystems habitate and ecological niche ecosystem components. Fundamental concepts related to energy in ecological systems. The food chain, trophic structure and ecological pyramids.

Forest environment - Forest biotic and abiotic components, their inter-relationship and importance in forest ecology. Effect of interaction of different environmental factors on the development of vegetation. Measurement of environmental factors like solar radiation, light intensity, and temperature Limiting factors-Principles of limiting factors and ecological indicators Biotic community concepts. Methods of studying vegetation life forms, structure and physiognomy, concept of ecological dominance, competition, tolerance agression, seral and climax communities, ecotones and edge effect.

Vegetation dynamics - Biological succession, primary and secondary succession retrogression arrested succession, and climax.

Autecology - Growth requirement of Species competition, moisture requirements, and root development.

Biological Productivity - Production of organic matter, accumulation of organic matter, nutrient cycling, energy budgets, vegetation as an indicator of nito productivity.

Biodiversity - It role need in conservation and exploitation; Hot spots in India and World.

(O) **Wildlife Management :**

Biological and ecological base of management. Distribution and behaviour of animals as affected by various environmental factors and adptations, concepts of nicho, habitats and ecosystem, environmental gradients, zoogeographic regions of world with special reference to wildlife-food-concept of food chains, food webs, pyramid of numbers, water pinchperiod, shell-territory, home range, edge effect, factors affecting animal populations-concept of age and sex structure, mortality and natility, density and saturation, point, gregariousness and flocking breeding potential, biological pressure, environmental resistance, interal adjustment factors, biological surplus and extinction thereshold, social organization and behaviour-animal communities, general inter and intra-specific relationships, dominance, predator and prey relationship, ingestive, eleminative and agonistice behaviour, parasitism, symbiosis.

Techniques of field studies of wildlife population - field observations and records, tracks, trials and other animal signs, trapping, capturing and marking rumen and focal matter analysis.

Population estimation censuses estimates direct and indirect, visual counts, use of animal tracks and signs-Sample estimates pellet group counts.

(P) **Soil Science :**

Earth as a planet, rocks and minerals of the crust, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, Geological formations and their correlation with forests. Weathering and soil formation.

Soil composition, soil profile, physical and chemical properties of soild, soil water, Soil reaction, soil fertility evaluation. Improvement of problem Boils. Soil survey and classification, land evaluation and land use planning, Land use and capability classification.

(Q) **Forest Tribology :**

Introduction, definitions, types, distribution and demography tribes, racial classification. Concept of tribe, family, clan and kinship, principles of social grouping, cultural traditions, customs, others, believes and practices of tribes, political organisations and social controls. Tribal economy, tribals and forests, their symbiotic relationship.

Details of few important tribes - Bhila, gonds and santhalas. Administration of tribal affairs, constitutional provision for their walfare.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.